

परिपत्र संख्या-स0द0/25-क/रोड चेकिंग/कम्प्यूटर परि0सं0-2021032/ 888 /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(सचलदल अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 03 दिसम्बर, 2020

समस्त

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0),
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0),
असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी(सचलदल),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।


विषय: सचल दल इकाईयों द्वारा रोड चेकिंग के कार्यात्मक लक्ष्य हेतु जारी परिपत्र सं0 1920049 दिनांक 26-08-2019 में संशोधन के सम्बंध में ।

प्रत्येक सचल दल इकाई द्वारा प्रति माह न्यूनतम वाहनों की जाँच के मानक के सम्बंध में मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 1920049 दिनांक 26-08-2019 के बिन्दु सं0 3 में अंकित तालिका को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

क्र0सं0	जोन	न्यूनतम जांच के वाहनों का मानक
1	आगरा, अलीगढ़, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद । एवं II , कानपुर । एवं II एवं वाराणसी I.	1050
2	गोरखपुर, लखनऊ । एवं II, मुरादाबाद एवं सहारनपुर	750
3	अयोध्या, बरेली, इटावा, झांसी, मेरठ, प्रयागराज एवं वाराणसी II	450

उपर्युक्तानुसार संशोधित मानक के अनुरूप प्रत्येक माह माल का परिवहन करने वाले वाहनों की जाँच करना सुनिश्चित किया जाय। परिपत्र संख्या 1920049 दिनांक 26-08-2019 में दिये गये अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


(अमृता सोनी)

कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।